आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य तथा
सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 95 /इंदौर/2019
निर्धारण वर्ष : 2014-15

श्री निलेश गगरानी, देवास	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त वृत्त 1(1), उज्जैन
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एसीएपीजी 0175 ए		

अपीलार्थी की ओर से	लिखित निवेदन
राजस्व की ओर से	श्री अमित सोनी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	08.12.2021
उद्घघोषणा तिथि	13.12.2021

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2014-15 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), उज्जैन के आदेश दिनांक 07.01.2019 के विरूद्ध निदेशित है ।

2. निर्धारिती द्वारा इस अपील के संबंध में अधिकरण के समक्ष लिखित आवेदन दाखिल किया गया था जिसमें यह निवेदन किया गया कि निर्धारिती ने कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अधीन आवेदन किया है । सुनवाई के दौरान विद्वान वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि द्वारा यह सूचित किया गया कि निर्धारिती ने विवाद से विश्वास योजना,

2020 के अधीन आवेदन किया है तथा राजस्व द्वारा फार्म सं. 3 जारी किया गया है । अतः निर्धारिती की वर्तमान अपील को वापिस ली गई माना जाए । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 13.12.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मधुमिता रॉय)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 13.12.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल